कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्ष[illegible]स्थान, जयपुर

कमांक एफ.1(37)अप्रमुवस / एमएण्डई / 2020 / 2760 दिनांक : 18.8.2020

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभागाधीन विभिन्न योजनाओं में संपादित विकास कार्यो के मूल्यांकन के दौरान Sampling पद्धति से कराए गए मूल्यांकन में रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता कई बार 40 प्रतिशत से कम पाई जाती है। समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षकों से चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि Sample लेते समय कई बार ऐसे क्षेत्र का चयन हो जाता है जो कि पूरे वृक्षारोपण क्षेत्र को एकरूपता से प्रदर्शित नहीं करते है जिससे मूल्यांकन के दौरान क्षेत्र में सही जीवित प्रतिशतता का आंकलन नही हो पाता है। इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए यदि Sampling द्वारा किये गये मूल्यांकन में जीवित प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो निम्नानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

1. यदि किसी वन मण्डल के आन्तरिक मूल्यांकन में Sampling पद्धति से किये गये मूल्यांकन के दौरान जीवित प्रतिशतता 40 से कम पाई जाती है तो संबंधित उप वन संरक्षक उस वृक्षारोपण क्षेत्र का अपने स्तर पर शतप्रतिशत मूल्यांकन करवायेगें। यह शतप्रतिशत मूल्यांकन संबंधित उप वन संरक्षकं स्तर पर ही किया जायेगा व शतप्रतिशत मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

2. प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई,राजस्थान जयपुर द्वारा चयनित साईट में Sampling पद्धति से संबंधित उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा किये गये मूल्यांकन में अथवा तृतीय पक्ष द्वारा किये गये Sampling मूल्यांकन में यदि रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम पाई जाती है तथा सम्बन्धित उप वन संरक्षक उक्त मूल्यांकन के परिणाम से सन्तुष्ट नही है तो वे उस साईट का शतप्रतिशत मूल्यांकन कराने हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन को अपने नियन्त्रण अधिकारी (सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक) के माध्यम से निवेदन कर सकेगें। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान जयपुर की सहमति उपरान्त उस साईट का शतप्रतिशत मूल्यांकन, क्षेत्र से सम्बन्धित मूल्यांकन ईकाई अथवा अन्य मूल्यांकन ईकाई से करवाया जाएगा। मूल्यांकन ईकाई द्वारा करवाये गये मूल्यांकन की रिपोर्ट अन्तिम रूप से मान्य होगी तथा तदानुससार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

18.8.2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर